e/;in'k d d"kdk dh vk; c<ku d fy; ckl ik/kk d jki.k dh ;ktuk

;ktuk dk Lo:i&

बांस कृषि योजना का उद्देश्य बांस की तेजी से बढ़ने वाली व अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों का कृषि क्षेत्र में रोपण कर प्रदेश में बांस कृषि पद्धति का विकास करना है। इस योजना से प्रदेश में बांस उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ ही बाजार में अच्छा मूल्य मिलने से कृषकों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध होगा तथा बांस आधारित स्थानीय शिल्पकारों को एवं बांस उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रजाति के बांस रोपण हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश तय किये जाते हैं–

1. कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रजाति के बांस रोपण हेतु रू. 240 प्रति पौधा की दर से राशि प्राक्कलित की गई है। इसमें से 50% राशि अनुदान (subsidy) के रूप में शासन/बांस मिशन द्वारा प्रदाय की जावेगी तथा शेष 50% राशि स्वयं कृषक द्वारा वहन की जावेगी।
2. सब्सिडी की 50% राशि संलग्न प्रपत्र 1 एवं 2 में किये गये प्राक्कलन के अनुसार सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा कराई जावेगी।
3. इस योजना के अंर्तगत कृषक को प्रदाय की जाने वाली अनुदान की राशि किसी भी दशा में रू. 120 प्रति पौधा से अधिक नहीं होगी। कृषक बांस रोपण हेतु प्राक्कलित कुल राशि से अधिक राशि का व्यय करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान निम्नानुसार तीन किश्तों में किया जाना है–

प्रथम वर्ष	अनुदान की राशि का 50% , (दो किश्तों में) प्रथम किस्त पौधा रोपण कार्य पूर्ण होने के तत्काल बाद– प्रथम वर्ष में देय कुल राशि का 60% तथा द्वितीय किश्त प्रथम वर्ष में देय कुल राशि का 40% वित्तीय वर्ष के अंत में दी जावे।
द्वितीय वर्ष	अनुदान की राशि का 30% , एक मुश्त द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदाय की जावे।
तृतीय वर्ष	अनुदान की राशि का 20% , एक मुश्त तृतीय वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदाय की जावे।

उपरोक्तानुसार अनुदान की राशि का भुगतान कृषक द्वारा स्वीकृत परियोजना के अनुसार कराये गये निर्धारित कार्यों से संबंधित क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्य

सत्यापन एवं कृषक द्वारा कराये गये कार्यों से संतुष्ट होने के उपरांत किया जावे। प्रथम वर्ष की द्वितीय किश्त एवं द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में प्रदाय की जाने वाली अनुदान की राशि का भुगतान माह फरवरी–मार्च में जीवित पौधों के सत्यापन के उपरांत किया जावे। अनुदान के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि जीवित पौधों का प्रतिशत किसी भी दशा में 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

5. कृषक अपनी स्वयं की कृषि भूमि पर ब्लाक रोपण अथवा मेड़ों पर लाइन रोपण करने हेतु स्वतंत्र होंगे। इसके अतिरिक्त कृषक को उसकी इच्छानुसार बांस की प्रजातियाँ लगाने हेतु स्वतंत्रता होगी। प्रजातियों एवं बांस की किस्मों के चयन हेतु बांस मिशन द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा। कृषक को बांस मिशन द्वारा सर्टीफाइड गुणवत्तापूर्ण पौधा को ही क्रय कर लगाना आवश्यक होगा। कृषक मिशन द्वारा अनुशंसित किसी भी रोपणी से पौधा क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा। पौधे की क्रय दर पौधा विक्रेता द्वारा तय की जायेगी। पौधे क्रय का भुगतान कृषक द्वारा ही किया जायेगा।

   उन्नत गुणवत्ता के बांस के पौधों तथा रोपण कार्य में उपयोग की जाने वाली समस्त आवश्यक सामग्री का क्रय व भुगतान स्वयं कृषक द्वारा ही किया जावेगा।

6. कृषक को अपनी सुविधानुसार बांस पौधों के मध्य अन्तराल चयन करने का अधिकार होगा, जिससे वह बांस पौधों के मध्य कृषि फसलों की अर्न्तवर्ती फसलें अपनी इच्छानुसार ले सके।

7. कृषक बांस पौधों के मध्य कृषि फसलों की अर्न्तवर्ती फसलें अपनी इच्छानुसार ले सकेगा।

8. इस योजना के अंर्तगत बांस उगाने के इच्छुक कृषक हितग्राहियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा वन विभाग के स्थानीय अमले के माध्यम से समुचित प्रचार–प्रसार एवं सुचना पटल पर योजना की जानकारी प्रदर्शित कर किया जावे। कृषक द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र –3) में आवेदन प्रस्तुत करने पर बांस मिशन द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सीमा में हितग्राही का चयन किया जावे। हितग्राही चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।

9. बांस उगाने वाले प्रत्येक कृषक का सम्बन्धित परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा मिशन के वेब एप्लीकेशन (ebamboobazar.org) में Bamboo Grower के रूप में पंजीयन कर पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा। इस योजना के तहत बांस उगाने वाले प्रत्येक कृषक के लिए प्राक्कलन तैयार करवाया जावे जिसकी कार्य स्वीकृति वन मण्डलाधिकारी द्वारा जारी की जावेगी। (प्राक्कलन का प्रारूप प्रपत्र–1 व 2 में संलग्न है)। प्रत्येक कृषक की प्रकरण नस्ती तैयार कर वन परिक्षेत्र कार्यालय में संधारित की जावे।

10. प्राक्कलन में प्रावधानित कार्यों की मात्रा का सत्यापन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

11. प्रत्येक पंजीकृत कृषक अपने कार्यों की प्रगति प्रपत्र 1 व 2 मे प्रत्येक वर्ष दिसम्बर व जून माह में देगा, जिसमें किये गये कार्यों की मात्रा, व्यय तथा साफ्ट कापी में रोपण स्थल के फोटो सम्मलित होंगे। प्रत्येक रोपण स्थल की जी.ओ. टेगिंग की जायेगी।

12. कृषक को उसकी इच्छानुसार बांस की प्रजातियाँ लगाने की स्वतंत्रता होगी। मिशन प्रत्येक प्रजाति के गुणधर्म फसल के उत्पादन मात्रा, बांस के साईज (लम्बाई तथा मोटाई) तथा उसके रोपण के पौधों के अन्तराल की जानकारी कृषक को लिखित में उपलब्ध करायेगा।

13. बांस खेती पद्धति के लिए चयनित कृषक का प्रशिक्षण सफल – माडल रोपण स्थलों पर दिया जायेगा तथा बांस व बांस खेती की बारीकियों से कृषक को अवगत कराया जायेगा।

14. उच्च घनत्व बांस रोपण 3X2 मीटर (1667 पौधे/हे0), 3X3 मीटर (1100 पौधे/हे0), 4X3 मीटर (833 पौधे/हे0), 4X4 मीटर (625 पौधे/हे0) के अन्तराल में रोपण मान्य होंगे। मध्यम घनत्व बांस रोपण 5X5 मीटर (400 पौधे/हे0), 6X6 मीटर (280 पौधे/हे0) के अन्तराल में लगाये गये रोपण मान्य होंगे।

    मेड़ों पर लाइन में लगाये गये रोपण 4X4 मीटर (625 पौधे/हे0) के अन्तराल में लगाया जाना ज्यादा अच्छा है परंतु कृषक को अंतराल चुनने की छूट रहेगी। बेहतर हो कृषक डबल लाइन में रोपण करें, जिससे उसे सिंचाई इत्यादि करने में आसानी होगी। जहाँ पर दो कृषको के खेत आपस में एक मेड़ के माध्यम से विभाजित है, वहाँ प्रयास किया जाये कि दोनो कृषक डबल लाईन रोपण करे तथा मेड़ से दोनो कृषक 1 मीटर अंदर पौधा लगाए जिससे दोनो कृषको को समान्तर फायदा हो सके।

15. राष्ट्रीय बांस मिशन की गाइड लाइन अनुसार कृषकों द्वारा ब्लाक अथवा लाइन में बांस रोपण करने का विकल्प दिया गया है तथा अर्न्तवर्ती कृषि फसल लेने की स्वतंत्रता के कारण कृषक मान्य कोई भी अन्तराल में बांस पौधे लगा सकेगा। सब्सिडी की गणना 240 रू./ पौधे मानक मान से की जानी है। चूँकि अलग – अलग अन्तराल में बांस पौधा लगाने की मंशा के पीछे अर्न्तवर्ती कृषि फसलें लेने का उददेश्य छिपा हुआ है, जिससे कृषक को प्रति वर्ष कुछ न कुछ आमदनी होती रहें। कृषक द्वारा अलग – अलग अन्तराल में पौधे लगाये जाने पर प्रति हेक्टेयर लगाये जाने वाले पौधों की संख्या अलग – अलग होगी, जो 280 पौधा/ हे0 से लेकर 1667 पौधा/ हे0 तक हो सकती है। चूँकि कम अन्तराल में प्रति हे0 अधिक पौधे लगाने से कृषक अर्न्तवर्ती कृषि फसलें नहीं ले पाने से ज्यादा अन्तराल में प्रति हे0 कम पौधे लगाने वाले कृषक की अपेक्षा प्रारम्भ में कम आमदनी प्राप्त करेगा। अतः कम अन्तराल में प्रति हेक्टेयर अधिक बांस पौधे लगाने से अर्न्तवर्ती कृषि फसलें ले पाने से हुई हानि की भरपाई वह प्रति हे0 अधिक पौधे लगाने के कारण अधिक सब्सिडी मिलने से कर सकेगा।

ckal [ksrh ikDdyu ¼mPp ?kuRo Cykd jksi.k½

ckal iztkfr cEcqlk ckydqvk] fdLe BB1 Liqfl;x 3X3 ehVj {ks=Qy 1 g0 ikS/kks dh la[;k 1100

iFke o"kZ							
क.	कार्य मद	इकाई	प्रति इकाई अनुमानित व्यय (रू.)	कार्य मात्रा	कुल होने वाला व्यय रू.	कृषक द्वारा की गयी कार्य मात्रा	कृषक द्वारा किया गया व्यय
1	खेत तैयार करना (जुताई, ट्रेंच बनवायी, झाड़ी इत्यादि हटाना)	हेक्टेयर	8500	1	8500		
2	पौधे की कीमत (परिवहन सहित)	पौधा संख्या	30	1200	36000		
3	गड्ढा खोदकर, गोबर खाद डालकर, पौधा लगाना	पौधा संख्या	20	1100	22000		
4	फेसिंग कार्य	मीटर	200	300	60000		
5	सिंचाई सुविधा की सीपिना (माइक्रो सिंचाई) (सब्सिडी अतिरिक्त)	हेक्टेयर	33000 लगभग	1	33000		
6	निदाई / गुड़ाई अर्न्तवर्ती फसल हेतु क्रय किये गये कार्य	प्रति पौधा	10	1100	11000		
7	गोबर / रासायनिक खाद की कीमत	प्रति पौधा	25	1100	27500		
8	सुरक्षा तथा अन्य कार्य	माह	1000	9	9000		
				;ksx%&	**207000**		
			d"kd dks iFke o"kZ esa nh tkus okyh fj;k;r %&		66000		
				d"kd va'k %&	**141000**		

f}rh; o"k

क.	कार्य मद	इकाई	प्रति इकाई अनुमानित व्यय (रू.)	कार्य मात्रा	कुल होने वाला व्यय रू.	कृषक द्वारा की गयी कार्य मात्रा	कृषक द्वारा किया गया व्यय
1	निदाई / गुड़ाई तथा अर्न्तवर्ती फसलों के कार्य	प्रति पौधा	10	1100	11000		
2	सिंचाई कार्य	संख्या / वर्ष / हे0	800	5	4000		
3	गोबर खाद की कीमत	लगभग	3000	-	3000		
4	सुरक्षा कार्य	माह	1000	12	12000		
f}rh; o"k e gkus okyk 0;;%&					**30000**		
d"kd dk f}rh; o"k e nh tkus okyh fj;k;r %&					39600		

r`rh; o"k

क.	कार्य मद	इकाई	प्रति इकाई अनुमानित व्यय (रू.)	कार्य मात्रा	कुल होने वाला व्यय रू.	कृषक द्वारा की गयी कार्य मात्रा	कृषक द्वारा किया गया व्यय
1	निदाई / गुड़ाई व खाद डालना	प्रति पौधा	10	1100	11000		
2	सिंचाई कार्य (गर्मियों में)	संख्या / वर्ष / हे0	1000	4	4000		
3	सुरक्षा कार्य	माह	1000	1	12000		
r`rh; o"k e gkus okyk 0;; %&					**27000**		
d"kdk dk r`rh; o"k e nh tkus okyh fj;k;r %&					**26400**		
d"kd dk rhu o"k e nh tkus okyh dqy fj;k;r ¼**Subsidy**½ %&					**132000**		
rhu o"kk e d"kdk }kjk Lo;a ls 0;; dh tkus okyh jkf'k %&					**132000**		
rhu o"kk e ifr g0 dqy 0;; dh tkus okyh jkf'k%&					**264000**		
rhu o"kk e ifr ik/kk dqy 0;; dh tkus okyh jkf'k %&					**240**		
rhu o"kk e d"kd dk ifr ik/kk dh tkus okyh dqy lfCLMh jkf'k%&					**120**		

ukV%& (1) कृषक द्वारा 3X3 मीटर अन्तराल की अपेक्षा यदि अन्य किसी अन्तराल में बांस रोपण करता है, तो तदनुसार प्राक्कलन में कार्य मात्रा व व्यय होने वाली राशि परिवर्तित हो जायेगी, परन्तु तीन वर्षों मे प्रति पौधा होने वाला व्यय राशि 240 रूपए नियत रहेगा।

(2) प्रत्येक मद में कार्य मात्रा व उन पर होने वाला व्यय अनुमानित है, जो प्रत्येक कृषक द्वारा अलग – अलग तरीके से व्यय किया जायेगा। अतः उपरोक्त प्राक्कलन प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु एक मानक रूप में प्रस्तावित हैं, जिसमें कृषक अथवा वन मण्डल अधिकारी परिवर्तित कर सकेंगे, परन्तु प्रत्येक स्थिति में तीन वर्ष में प्रति पौधा व्यय होने वाली राशि 240 रूपये ही रहेगी, जो राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा तय किया गया है।

ckl [krh ikDdyu ¼ykbu jki.k½

ckl i:tkfr ------------------- fdLe ....Lifl x 4 ehVj

iFke o"k

क्र.	कार्य मद	इकाई	प्रति इकाई अनुमानित व्यय (रू.)	कार्य मात्रा	कुल होने वाला व्यय रू.	कृषक द्वारा की गयी कार्य मात्रा	कृषक द्वारा किया गया व्यय
1	पौधे की कीमत (परिवहन सहित)	प्रति पौधा	30	1	30		
2	गड्ढा खोदना	प्रति पौधा	15	1	15		
3	खाद डालकर रोपण करना	प्रति पौधा	15	1	15		
4	निदाई व गुड़ाई	प्रति पौधा	10	1	10		
5	सिंचाई	प्रति पौधा	50	1	50		
6	फेसिंग व सुरक्षा कार्य	प्रति पौधा	50	1	50		
7	खाद की कीमत	प्रति पौधा	10	1	10		
iFke o"k e0;; dh tkus okyh jkf'k ¼&					**180**		
d"kd dks nh tkus okyh fj;k;r ¼&					60		
d"kd }kjk Lo;a ds 0;; l s dh tkus okyh jkf'k &					**120**		

f}rh; o"k

क्र.	कार्य मद	इकाई	प्रति इकाई अनुमानित व्यय (रू.)	कार्य मात्रा	कुल होने वाला व्यय रू.	कृषक द्वारा की गयी कार्य मात्रा	कृषक द्वारा किया गया व्यय
1	निदाई व गुड़ाई कार्य	प्रति पौधा	10	1	10		
2	सिंचाई कार्य	प्रति पौधा	10	1	10		
3	खाद की कीमत	प्रति पौधा	5	1	5		
4	सुरक्षा कार्य	प्रति पौधा	5	1	5		
f}rh; o"k e0;; dh tkus okyh jkf'k ¼&					**30**		
d"kd dks nh tkus okyh fj;k;r ¼&					**36**		

r`rh; o"k

क्र.	कार्य मद	इकाई	प्रति इकाई अनुमानित व्यय (रू.)	कार्य मात्रा	कुल होने वाला व्यय रू.	कृषक द्वारा की गयी कार्य मात्रा	कृषक द्वारा किया गया व्यय
1	निदाई व गुड़ाई कार्य	प्रति पौधा	10	1	10		
2	सिंचाई कार्य	प्रति पौधा	10	1	10		
3	सुरक्षा कार्य	प्रति पौधा	10	1	10		
r`rh; o"k e0;; dh tkus okyh jkf'k ¼&					**30**		
d"kd dks nh tkus okyh fj;k;r ¼&					**24**		
rhuks o"kks e ifr ik/kk 0;; dh tkus okyh jkf'k¼&					**240**		
rhu o"kks e d"kd dks nh tkus okyh ifr ik/kk dqy fj;k;r ¼&					**120**		

प्रपत्र – 3

ck l jk i.k gr vkonu i= ¼;k tuk 7458½

1. d"kd dk uke – ....
2. firk@ifr dk uke – ....
3. ekckby u-] ;fn gk rk – ....
4. bey] ;fn gk rk – ....
5. ijk irk – ....
....
....
6. xkeh.k@'kgjh – ....
7. ftyk – ....
8. Rkgl hy – ....
9. fodk l [k.M – ....
10. ipk;r – ....
11. xke – ....
12. ouoŸk – ....
13. oueMy – ....
14. ouj t ....
15. iVokjh gYdk uEcj – ....
16. ifjp; i= ¼vk/kkj dkM uEcj½ – ....